

# मध्यप्रदेश विधान सभा

जनवरी-अप्रैल, 2001 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 22 फरवरी, 2001 (फाल्गुन 3, 1922)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हरवंश सिंह, परिवहन मंत्री-

(क) मध्यप्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 4-1-2000-आठ, दिनांक 29 जुलाई, 2000; तथा

(ख) रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन एक्ट, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000, पटल पर रखेंगे.

(2) श्रीमती जमुना देवी, उप मुख्यमंत्री, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1995) की धारा 65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त निःशक्त जन मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 पटल पर रखेंगी.

(3) श्री महेंद्र बौद्ध, गृह मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1998-99 पटल पर रखेंगे .

### 3. नियम 130 के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) सर्वश्री नरेन्द्र बिरधरे, लाल सिंह, मुंशीलाल, सदस्य, चंबल नदी पर बने राणा प्रताप सागर बांध से सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. सीता सरन शर्मा, कुंवर विजय शाह, श्री नरेन्द्र बिरधरे, सदस्य, विदिशा नगर के सागर मार्ग पर स्थित केमिकल्स फैक्ट्री में गैस रिसाव से तीन श्रमिकों की मौत होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रणवीर सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम सड़ में हाईस्कूल खोले जाने,

(2) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल शहर के सी-सेक्टर शाहपुरा में सड़कों की मरम्मत एवं डामरीकरण कराये जाने, तथा

(3) श्री हाजी गुलाम सिद्दीक, सदस्य, कटनी नगर में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

### 5. शासकीय विधि विधेयक कार्य

श्री हरवंश सिंह, वन मंत्री, मध्यप्रदेश लोक वानिकी विधेयक, 2001 (क्रमांक 2 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

### 6. वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

भोपाल :  
दिनांक : 20 फरवरी, 2001

के.पी. सिवायी  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.